समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला योजना कार्यालय)
-: निविदा आमंत्रण सूचना :-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत श्री रामप्रीत पासवान, माननीय स0वि0स0, राजनगर के द्वारा पुस्तकालय भवन में 1,00,00.00 (एक लाख) रूपये का उपस्कर (टेबल, कुर्सी, अलमीरा) क्रय कर आपूर्त्ति हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 2/11/18 को अपराह्न 01:00 बजे तक इच्छुक प्रतिष्ठित निबंधित निर्माता/प्रतिष्ठानों एवं अधिकृत विक्रेताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक : 2/11/18 को अपराह्न 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। पुस्तकालय भवन की सूची जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस को निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 1/11/18 को अपराहन 05:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जा सकता है तथा PRD and Madhubani जिला के बेवसाईट पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जिला योजना कार्यालय, मधुबनी के कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :-

1. तकनीकी निविदा में 2,000/- (दो हजार) रूपये मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से देय एवं मधुबनी में भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी संबंधी लिफाफा में निविदादाता को स्वअभिप्रमाणित DIC के अधीन निबंधन प्रमाण पत्र या किसी सरकारी संस्था से दुकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं विवरणी (Return) अद्यतन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता का Turn over मो0 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये का होना चाहिए है।
6. निविदादाता को उपस्कर निर्माण तथा आपूर्त्ति का अनुभव प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें -

9. वित्तीय निविदा में उपस्कर (टेबुल, कुर्सी एवं अलमीरा) का स्पेशिफिकेशन एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना अनिवार्य होगा।

(ग) सामान्य शर्तें -

10. जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
11. निविदा दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा अंकित लिफाफ एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा अंकित लिफाफ अवश्य होना चाहिए। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
12. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
13. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार श्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
14. उपस्कर आपूर्ति के पश्चात संबंधित पुस्तकालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/गुणवत्ता के जॉचोंपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
15. उपस्कर की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

16. कार्यादेश के अनुरूप उपस्कर की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर चिन्हित स्थल पर करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा देय होगी। अन्यथा संबंधित फर्म की अग्रधन की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
17. उपस्कर पर मद का नाम, माननीय का नाम, वर्ष तथा पुस्कालय भवन का नाम निश्चित रूप से अंकित होना चाहिए ।
18. एकरारनामा के साथ Performance Security Deposiज (एकरारनामा की राशि का 05 प्रतिशत) बैंक गांरटी/NSC जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से प्लेज किया हुआ जमा करना होगा। जिसकी बैधता 180 दिनों (छः माह) की अवधि तक रहनी चाहिए। Security Money की वापसी कार्य समाप्ति के पश्चात की जायेगी।
19. विवाद की स्थिति में न्यायलय, मधुबनी का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
20. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
21. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) अन्य शर्तें –

1. उपस्कर की आपूर्ति के कय में उपस्कर के परिवहन में हुई किसी प्रकार की क्षति के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

11/X/18

उप विकास आयुक्त,
मधुबनी।